संख्या-5/2025/वे0आ0-1-163/दस-2025-01(एम)/2020

प्रेषक,

पुष्पराज,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांकः 22 अप्रैल, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुदान संख्या-65 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो हेतु प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/ दस -2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 2,77,95,000 (रूपये दो करोड सतहत्तर लाख पन्चानबे हजार मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदया आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :--

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

उक्त धनराशि का व्यय मदवार ही किया जायेगा। धन का आवंटन ही व्यय के लिये अधिकार प्रदान नहीं करता है, अतः जहाँ कहीं आवश्यक हो, व्यय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षः 2052000910500 (अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो) के नामे डाला जायेगा।

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	**मानक मदें**	**वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये निवर्तन पर रखी जा रही स्वीकृत प्रावधानित धनराशि**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	01- वेतन	150.00
2	03- मँहगाई भत्ता	90.00
3	04- यात्रा व्यय	0.50
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
5	06- अन्य भत्ते	2.50
6	07- मानदेय	1.00
7	08- कार्यालय व्यय	2.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.20
9	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.30
10	13- टेलीफोन पर व्यय	0.50
11	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.20
13	26- मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	--
14	29- अनुरक्षण	0.50
15	42- अन्य व्यय	0.50
16	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30
17	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.50
18	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
19	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.25
20	49- चिकित्सा व्यय	4.00
21	51- वर्दी व्यय	0.20
22	55- मकान किराया भत्ता	8.00
23	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.50
	योग	**277.95**

(रूपये दो करोड सतहत्तर लाख पन्चानबे हजार मात्र)

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/ दस -2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
पुष्पराज
विशेष सचिव।

संख्या-5/2025/वे0आ0-1-163(1)/दस-2025-01(एम)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त, 6, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पुष्पराज
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in